राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :– प०10(1) नवि/3/2002पार्ट जयपुर, दिनांक :–27.12.2004

आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
नगर सुधार न्यास, समस्त (नगर सुधार न्यास जोधपुर को छोड़कर)

विषय :– राजस्थान में आवासीय परियोजनाओं/टाउनशिप विकसित करनें में निजी निवेश को बढावा देने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषायान्तर्गत निजी विकासकर्त्ताओं/खातेदारों की योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों एवं परियोजना के बिन्दुओं को तर्क संगत बनाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाकर निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. धारा 90–बी की कार्यवाही एक माह में पूर्ण कर ली जावें एवं तदनुसार रूपान्तरण राशि का डिमाण्ड नोटिस जारी कर रूपान्तरण राशि एक मुश्त एक माह में जमा करवाई जाने के पश्चात् योजना का अनुमोदित नक्शा जारी कर दिया जायें।
2. निजी निवेशकर्त्ता द्वारा निजी कृषि भूमि पर कॉलोनियां विकसित किये जाने हेतु पूर्व प्रावधानों के अनुसार ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावें।
3. निजी निवेशकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में रूपान्तरण राशि पूर्व में निर्धारित दरों के अनुसार वसूल की जायें।
4. निजी निवेशकर्त्ताओं की योजनाओं में आवंटित भूखण्डों की लीजमनी उक्त योजना की निर्धारित आरक्षित दर के आधार पर नियमानुसार ली जावें।
5. आन्तरिक विकास कार्य के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही की जावें।
6. निजी विकासकर्त्ताओं की योजनाओं में जयपुर विकास प्राधिकरण/न्यासों द्वारा आवंटियों को किसी प्रकार का प्रोविजनल पट्टा नही दिया जाये। यदि भूखण्डधारी भूखण्ड क्रय करने हेतु किसी वित्तीय संस्था से ऋण हेतु आवेदन करना चाहता है तो प्राधिकरण/स्थानीय निकाय स्तर पर निर्णय लेकर कार्यवाही की जावें।
7. भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के संबंध में प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही की जावें।
8. अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि के नियमन के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जो निर्देश जारी किये हुए है उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की जावें।
9. निजी निवेशकर्त्ताओं की अनुमोदित योजनाओं में निवेशकर्त्ता/खातेदारों के द्वारा प्रस्तुत सूची के आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकायों द्वारा नियमानुसार क्रेता के नाम पट्टा जारी किया जावें।

(14 A) (42) शासन उप सचिव